पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8144 / अका. / का.प. / 2006 रायपुर, दिनांक : 23.06.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक १३.६.२००६ को पूर्वान्ह ११.०० बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

1.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	डॉ हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
4.	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
5.	डॉ एच.आर.शर्मा	सदस्य
6.	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
7.	डॉ जी.डी.साव	सदस्य
8.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
9.	डॉ आर.के.गुप्ता	सदस्य
10.	श्री राहुल महावार	सदस्य
11.	डॉ युगल भारती	सदस्य
12.	डॉ हेमलता महोबे	सदस्य
13.	श्री के.के.चंद्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

1. दिनांक 25.03.2006 को सम्पन्न कार्यपरिषद की बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना । (कार्यवृत्त संलग्न)

निर्णय १.आगामी कार्यपरिषद की बैठक में पालन प्रतिवेदन रखा जावे, २.प्रो.हर्षवर्धन तिवारी को कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयों के अनुसार संबंधित नस्तियों का अवलोकन हेतु रविवार अथवा द्वितीय/तृतीय शानिवार को तिथि तय किया जावे, ३.प्रो.हर्षवर्धन तिवारी को पूर्व में दस्तावेज देने के संबंध में जो निर्णय हुये है वे दस्तावेज १५ दिवस के अंदर दिखाया जावे, ४.वार्षिक प्रतिवेदन प्रो.हर्षवर्धन तिवारी के मार्गदर्शन में तैयार किया जावे, ५.अधिनियम एवं परिनियम की प्रतियाँ छपवाई जाये, ६.कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक २५.३.२००६ के कार्यवृत्त में अध्यादेश क्रमांक ४१ (शिक्षक कल्याण कोष) से संबंधित प्रकरण क्रमांक १० के संबंध में लिये गये निर्णय को सुधारते हुये यह लिखा जावे कि इस पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव, प्रो.एम.खान एवं वित्ताधिकारी सदस्य होंगे। निर्णय लिया गया कि आगामी कार्यपरिषद की बैठक में इस समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। ७. दिनांक २५.३.२००६ को सम्पन्न कार्यपरिषद के कार्यवृत्त क्रमांक २३ के संबंध में निर्णय लिया गया कि कुलपति जी की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग ने अभी तक व्यवस्था नहीं की है। डी.जी.पी. को कार्यपरिषद के निर्णय से अवगत कराया जावे। ८. कार्यवृत्त क्रमांक ३३ (२) के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रो.एच.व्ही.तिवारी से मिलकर विनियम बनाया जावे एवं ३३ (७) हेतु निर्णय गया कि विश्वविद्यालय फंड से प्रकाशित कराया जावे। उपरोक्त विषयों में सुधार के साथ कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

कार्यवाही- प्रशासन, अकादमिक, विकास, वित्त एवं गोपनीय विभाग

2. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28 के तहत नियुक्त प्राचार्यों एवं शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के अनुमोदन के बिना पदच्युत कर दिये जाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई एवं निर्णय लिया गया कि जो महाविद्यालय परिनियम २८ के अंतर्गत नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों को कार्यपरिषद की अनुमति लिये बिना पदच्युत करता है तो ऐसे महाविद्यालयों को उन्हें संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित की जावे एवं ऐसे महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रदान नहीं की जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

3. छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए स्वीकृत सेट–अप अंगीकृत करने, निर्धारित वेतनमान कम होने एवं नये पद की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. के लिये छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ ३-५०/२००५/उ.शि/३८ दिनांक १.५.२००६ में कुलसचिव को संबोधित पत्र के अनुसार स्वीकृत सेटअप के कुल पद ७२८ (१५४ शैक्षणिक एवं ५७४ अशैक्षणिक) अंगीकृत किया गया। इसके साथ निम्नलिखित निर्णय भी लिया गया- १. स्वीकृत सेटअप में जिन पदों पर वेतनमान कम किया गया है उनके संबंध में पूर्व कार्यपरिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में औचित्य दर्शाते हुये पुनः शासन स्तर पर पत्र लिखकर प्रयास किया जावे। २.प्रौढ शिक्षा एवं सतत् विस्तार शिक्षा का उल्लेख सेटअप में नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस विभाग को अनुदान प्राप्त हुये अतः संबंधित विभाग के लिये स्वीकृत सहायक संचालक एवं परियोजना अधिकारी के पद स्वीकृत करने हेतु शासन से पुनः पहल किया जावे। ३.इतिहास अध्ययन शाला में एक व्याख्याता का अतिरिक्त पद स्वीकृति हेतु शासन से पुनः पहल किया जावे। ४.इलेक्ट्रानिक्स विभाग में ए.आई.सी.टी.ई के नियम के अनुसार गैर-शैक्षणिक पद निर्मित करने हेतु पहल किया जावे। ५.परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जावे। ६.शासन द्वारा स्वीकृत सभी पदों में रोस्टर का नियमानुसार पालन करते हुये पदों को भरने की कार्यवाही की जावे। ७.जो कर्मचारी वर्ष १९८९ से दैनिक वेतन पर कार्यरत है उनके नियमितीकरण के लिये गुण एवं दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही- सामान्य प्रशासन विभाग

4. (1) उदंती महाविद्यालय, देवभोग (2) माता कर्मा कला/वाणिज्य महाविद्यालय, गुण्डरदेही (3) विंध्यवासिनी कला/विज्ञान महाविद्यालय, सनोद एवं (4) कर्मा कला/वाणिज्य महाविद्यालय, जामगांव (आर) को आगामी सत्र से परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय उडनदस्ते के प्रतिवेदन, पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर (1) उदंती महाविद्यालय, देवभोग (2) माता कर्मा कला/वाणिज्य महाविद्यालय, गुण्डरदेही (3)विंध्यवासिनी कला/विज्ञान महाविद्यालय, सनोद एवं (4) कर्मा कला/वाणिज्य महाविद्यालय, जामगांव (आर) को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जावे।

कार्यवाही- परीक्षा विभाग

5. नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. सालिगराम त्रिपाठी के नाम का अनुमोदन प्रदान करने बाबत विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

6. श्री राजेश मिश्रा, डी.आई.जी. (एफ/पी) पोलिस हेड क्वार्टर, छ.ग., रायपुर के द्वारा निर्धारित तिथि के बाद शोध प्रबंध जमा करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.04.2006 पर विचार करना ।

निर्णय समय वृद्धि हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण अध्यादेश् क्र.४५ की कंडिका के अनुसार पंजीयन निरस्त हो गया है। पुनःपंजीयन कराने की सूचना भेजी जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

7. श्री चूड़ामणि त्रिवेदी (राजेश्री महंत रामसुन्दर दास), श्री दूधाधारी मठ, मठपारा, रायपुर शोधछात्र के शोधकार्य की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि बाबत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.03.2006 पर विचार करना ।

निर्णय समय वृद्धि हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण अध्यादेश् क्र.४५ की कंडिका के अनुसार पंजीयन निरस्त हो गया है। पुनःपंजीयन कराने की सूचना भेजी जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

8. अध्यादेश कमांक 5 की कंडिका–6 में दृष्टिबाधित निःशक्तजन परीक्षार्थी के लेखक के स्थान पर कम्प्यूटर/लेपटाप का उपयोग लिखित परीक्षा में करने की अनुमति प्रदान करने बाबत विचार करना ।

निर्णय अमान्य किया गया।

कार्यवाही- परीक्षा विभाग

9. वार्षिक परीक्षा–2006 में विश्वविद्यालय कंट्रोल रूम तथा विभिन्न महाविद्यालयों में नियुक्त समन्वयकों को मानदेय, वाहन भत्ता तथा टी.ए./डी.ए. (शासन के नियमानुसार स्वीकृत करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई। समन्वयकों को रू.१२५/- प्रतिदिन मानदेय, वाहन भत्ता कार्यक्षेत्र से १० कि.मी. से ज्यादा दूरी पर से आने वाले समन्वयकों को रू.३/- प्रति किमी. की दर से तथा डी.ए.शासन के नियमानुसार देय होगा।

कार्यवाही- वित्त विभाग

10. अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थायी इंप्रेस्ट राशि रू. 2000/– में वृद्धि कर रू. 5000/– करने के सम्बन्ध में विचार करना

निर्णय अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थायी इंप्रेस्ट राशि रू. 5000/– स्वीकृत की गई।

कार्यवाही- वित्त विभाग

11. अशासकीय महाविद्यालयों की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में दो वर्ष हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत करने बाबत ।

निर्णय अशासकीय महाविद्यालयों की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में दो वर्ष हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालयों कोनिर्देशित किया जावे कि विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये जावे। संबंधित प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि वे नियमित रूप से महाविद्यालय के संबंध में वस्तुस्थिति से विश्वविद्यालय को अवगत कराते रहेंगे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

12. अकादमिक विभाग में स्थापित दूरभाष कमांक 2262112 में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने बाबत।

निर्णय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन विभाग

13. कु. नेहा लोढ़ा, अनुकमांक 905465 बी.काम. अंतिम सत्र 2004 का नाम अंतिम प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान दर्शाते हुए संशोधित प्रावीण्य सूची जारी करने बाबत विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

कार्यवाही- गोपनीय विभाग

14. महंत लक्ष्मीनारायणदास महाविद्यालय, रायपुर में बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अध्यादेश कमांक–15 में प्रावधानित 40 छात्रों को प्रवेश के विरूद्ध 63 छात्रों को सत्र 2005–06 में प्रवेश दिया गया है । अतिरिक्त 23 छात्रों को प्रवेश देने बाबत प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय महाविद्यालय को चेतावनी दी जावे कि भविष्य में ऐसी गल्ती की पुनरावृत्ति न करें। महाविद्यालय को यह भी सूचना दी जावे कि बी.जे.एम.सी.पाठ्यक्रम में आगामी सत्र से केवल ४० छात्रों को ही प्रवेश दें अन्यथा महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता निरस्त की जावेगी।

कार्यवाही- अकादमिक एवं परीक्षा विभाग

15. विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठ्यकमों के अंतर्गत संचालित करने हेतु विभिन्न अध्ययन शालाओं के लिए Corpus Fund की स्थापना की गयी । Corpus Fund से संबंधित अध्यादेश के परीक्षण हेतु गठित समिति के सदस्य प्रो. एम.ए. खान द्वारा दिनांक 01.01.2006 को परीक्षण कर Corpus Fund की आवश्यकता प्रतिपादित की । प्रकरण कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

16. कुलअनुशासक (प्रॉक्टर) कार्यालय हेतु रू. 1000/– विभागीय इंप्रेस्ट राशि माननीय कुलपति द्वारा स्वीकृत की गई है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही- वित्त विभाग

17. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर की स्थायी से अस्थायी सम्बद्धता निरंतर जारी रखने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय महाविद्यालय को प्रदान की गई समस्त पाठ्यक्रम/विषयों के स्थायी संबद्धता समाप्त की जाती है। अस्थायी संबद्धता जारी रखी जावे।

कार्यवाही- अकादमिक एवं परीक्षा विभाग

18. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में नवीन सेट–अप में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर (टी.पी.ओ.) का पद सृजित कर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय शासन से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावे।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन विभाग

19. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, भिलाईनगर केन्द्र में बी.काम. भाग–तीन के आयकर विषय एवं बी.ए. भाग–दो समाजशास्त्र विषय में परीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक नकल होने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय १.डॉ राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महा.रिसाली सेक्टर भिलाई के बी.काम तीन आयकर प्रश्न पत्र की परीक्षा के संबंध में परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नकल का प्रकरण होने के कारण संबंधित परीक्षा निरस्त करने हेतु अनुमोदन किया गया। २.बी.ए.भाग दो समाजशास्त्र द्वितीय की परीक्षा के संबंध में परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नकल का प्रकरण होने के कारण संबंधित परीक्षा निरस्त करने हेतु अनुमोदन किया गया। ३. संबंधित महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र समाप्त किया जावे।

कार्यवाही- गोपनीय एवं परीक्षा विभाग

20. विवेकानन्द महाविद्यालय, दुर्ग केन्द्र में बी.काम. भाग–तीन के आयकर विषय में परीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक नकल होने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विवेकानंद महाविद्यालय दुर्ग के बी.काम. भाग तीन आयकर प्रश्न पत्र की परीक्षा के संबंध में परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नकल का प्रकरण होने के कारण संबंधित परीक्षा

निरस्त करने हेतु अनुमोदन किया गया। संबंधित महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र समाप्त किया जावे।

कार्यवाही- गोपनीय एवं परीक्षा विभाग

21. महाराजा प्रवीरचंद महाविद्यालय, जगदलपुर परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध विचार करना ।

निर्णय महाराजा प्रवीरचंद महाविद्यालय जगदलपुर का परीक्षा केंद्र प्रदान नहीं करने का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही- परीक्षा विभाग

22. वार्षिक परीक्षा 2006 के अंतर्गत चाणक्य महाविद्यालय, रायपुर से बी.काम. भाग–तीन (दिनांक 06.03.2006) एवं बी.काम. भाग–एक (दिनांक 08.03.2006) के पर्चे लीक होने के बाद महाविद्यालय की सम्बद्धता निरंतर जारी रखने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय चाणक्य महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र प्रदान नहीं किया जावे एवं जैसे ही सी.आई.डी. का रिपोर्ट प्राप्त होता है आगामी कार्यवाही के लिये कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

कार्यवाही- अकादमिक एवं परीक्षा विभाग

23. कावा ग्लोबल इंस्टीट्यूट, रायपुर को बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की असम्बद्धता एवं बी.ए.एल.एल.बी. भाग–एक की परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय यदि संबंधित महाविद्यालय को बार कॉसिल ने अनुमति दिया है तो बार कॉसिल के नियम का पालन करते हुये अध्यादेश क्रमांक १२६ में उल्लेखित पैरा *केवल विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में संचालित* प्रावधान में संशोधन की कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

24. पेंशनर कल्याण निधि से सम्बन्धित विनियम को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय इस संबंध में प्रो.ओ.पी.वर्मा एवं प्रो.एम.ए.खान की दो-सदस्यीय समिति का गठन किया जावे तथा उनके प्रतिवेदन के आधार पर समन्वय समिति में रखे जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जावे।

कार्यवाही- वित्त विभाग

25. बायोटेक्नालाजी विषय को स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय के रूप में समाहित करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

26. कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में समिति की अनुशंसा पर विचार करना ।

निर्णय इस संबंध में गठित समिति के अभिमत एवं सुझाव के संबंध में विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया- १.विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर की गई नियुक्तियाँ अस्थाई व्यवस्था है जैसे रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है स्वतः यह व्यवस्था समाप्त हो जावेगी। २. गुण एवं दोष के आधार पर नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। ३.विश्वविद्यालय कर्मचारियों को टंकण की छूट के संबंध में निर्णय लिया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जावे। ४. नियमितीकरण के संबंध में गुण एवं दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावे। ५.समन्वय समिति में प्रस्ताव भेजा जावे। ६.इस संबंध में वित्त एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा परीक्षण करा लिया जावे। ७.पेंशन सेल का गठन किया जावे। ८.सफाई संबंधी ठेका व्यवस्था बंद कर दिया गया एवं सुरक्षा के संबंध में समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। ९.जिन कर्मचारियों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उनके स्थायीकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। १०. समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग एवं अंकेक्षण विभाग का अभिमत लेकर संबंधित कार्यवाही किया जावे। ११.इस संबंध में कुलाधिसचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जावे एवं सदस्य डॉ एम.ए.खान, वित्त अधिकारी होंगे। इस संबंध में कुलसचिव की सहायता ली जावे तथा कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। १२.इसके संबंध में वित्त विभाग एवं अंकेक्षण विभाग से अभिमत लेकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन विभाग

2- उदय महाविद्यालय, भिलाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका कमांक 1662/2006 के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही से कार्यपरिषद के सदस्य पूर्णतः सहमत हुये। विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु अच्छे अधिवक्ता रखने एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही- विधि प्रकोष्ठ

28 विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.06.2006 में की गई अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करना (कार्यवृत्त पटल पर रखी जायेगी)।

निर्णय अनुमोदित की गई।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

29 दिनांक 20.01.2006 तथा 23.05.2006 को सम्पन्न विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना । (कार्यवृत्त संलग्न)

निर्णय अनुमोदित की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद ~~की स्थायी समिति~~ की बैठक दिनांक ५.६.२००६ का कार्यवृत्त आगामी कार्यपरिषद में रखा जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

30. वार्षिक परीक्षा 2006 की उत्तर–पुस्तिका का निर्माण हेतु क्रय किये गये कागज का मूल्य रू. 28,93,728/– (रूपये अठ्ठाइस लाख तिरानबे हजार सात सौ अठ्ठाइस मात्र) भुगतान की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही- विकास विभाग

31. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2006 से 71 प्रतिशत महँगाई भत्ते के भुगतान की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही- वित्त एवं सामा.प्रशासन विभाग

32. अनुचित साधन निर्णायक समिति के गठन पर विचार करने बाबत ।

निर्णय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही- गोपनीय विभाग

33. नगण्य छात्र संख्या वाले विषयों/पाठ्यक्रमों को बंद कर रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत विचार करना कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कौन–कौन सा पाठ्यक्रम संचालित कर सकती है।

निर्णय स्वीकृत सेटअप के अनुसार विभाग का नाम Department of Philosophy and Yoga रखा जावे तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक न दिया जावे।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन, वित्त विभाग एवं तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग

34. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के भविष्य निधि पर शासन द्वारा निर्धारित ब्याज देने एवं भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शाखा में "सेविंग्स प्लस एकाउन्ट" योजना में कम से कम 6.00 प्रतिशत ब्याज प्राप्ति हेतु निवेश पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय कर्मचारियों के भविष्य निधि पर शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दिया जाय। इस माह से ब्याज अंतर की राशि देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स प्लस एकाउन्ट योजना में रखने का निर्णय लिया गया। परिनियम क्र.२६ की कंडिका २ (६) के अनुसार यह राशि राज्य शासन से प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही- वित्त विभाग

35. अपोलो कॉलेज, दुर्ग द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन में अनियमितता संबंधी प्रकरण पर विचार करना । (जाँच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है)

निर्णय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी सत्र में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे। राज्य शासन एवं एन.सी.टी.ई को भी सूचित किया जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

36. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, रायपुर में परिनियम 27–ए के तहत संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाफल एवं संबंधित अंकसूची निरस्त करने बाबत विचार करना ।

निर्णय विधिक सलाह ली जावे तथा इसके पश्चात् ही परीक्षा परिणाम निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। साथ ही एन.सी.टी.ई. भोपाल को इस संबंध में पत्र लिखा जावे।

कार्यवाही- परीक्षा विभाग, विधि प्रकोष्ठ एवं अकादमिक विभाग

37. जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में माइक्रोबायलाजी तथा बायोकेमेस्ट्री विषयों का अध्यापन करने के लिए संबंधित विषय में व्याख्याताओं के पद स्ववित्तीय आधार पर सृजित करने बाबत विचार करना ।

निर्णय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन एवं जैविकी अध्ययन शाला

38. बी.एस–सी. के अध्यादेश क्रमांक–21 की कंडिका (6) के सरल क्रमांक 37, 38 एवं 39 में नये विषय समूह शामिल करने पर विचार करना :–37.Chemistry, Biochemisry, botany, 38.Chemistry, Biochemistry, Zoology, 39. Chemistry, Biochemistry, Microbiology

निर्णय अनुमोदित की गई।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

39. रसायनशास्त्र अध्ययन शाला के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी उपकरणों कुल मूल्य रू. 24,46,698.98 को अपलेखन करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

40. डॉ. ओ.पी. व्यास, कम्प्यूटर विभाग एवं डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यपरिषद सदस्य प्रो. एच.व्ही. तिवारी के पत्र के संदर्भ में विचार करना ।(पत्र संलग्न है)

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

41. शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति नहीं करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार नया विज्ञापन जारी करते हुये शिक्षकों का चयन करने की कार्यवाही किया जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

42. स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई द्वारा बी.एड. शिक्षकों के स्टाफ प्रोफाइल में विश्वविद्यालय प्रशासन को गलत जानकारी देकर अनुमोदन लेने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

43. स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति नहीं कराना ।

निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार नया विज्ञापन जारी करते हुये शिक्षकों का चयन करने की कार्यवाही किया जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

44. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित सूचना प्रदान करने के संबंध में बनाये गये नियम एवं संबंधित विभागाध्यक्षों को लोक सूचना अधिकारी बनाए जाने संबंधी की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करने बाबत ।

निर्णय प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही- सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

45. विश्वभारती इंस्टीट्यूट, रायपुर द्वारा सत्र 2005–06 में केवल बी.एड. उत्तीर्ण अध्यापकों द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रम का अध्यापन कराये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने वाले प्रकरण

४६. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक १२.६.२००६ के कार्यवृत्त को अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय अनुमोदित की गई।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

४७ डॉ बी.के.मेहता (निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जांच अधिकारी प्रो.जी.एल.मूंधडा के सेवानिवृत्त होने के कारण अन्य जाँच अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करना।

निर्णय संबंधित प्रकरण के संबंध में कुलपति जी ने कार्यपरिषद को विस्तार से वस्तुस्थिति से अवगत कराया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जांच के लिये प्रो.जी.एल.मूंधडा के स्थान पर अन्य जांच अधिकारी नियुक्त करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जावे।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन विभाग

४८. श्री सूरज कुमार सावले, कनिष्ठ अधीक्षक के पत्र के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि पूर्व कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किया जावे।

कार्यवाही- सामा.प्रशासन विभाग

४९. परीक्षार्थियों को लिखित उत्तरपुस्तिका छात्रों के अवलोकन कराने के संबंध में अध्यादेश ६ में संशोधन हेतु विचार करना।

निर्णय पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् यदि परीक्षार्थी लिखित उत्तरपुस्तिका का अवलोकन करना चाहते है तो निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर संबंधित लिखित उत्तरपुस्तिका का अवलोकन कराने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि तद्नुसार अध्यादेश में संशोधन की कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही- गोपनीय विभाग

५०. शिवा महाविद्यालय भिलाई, रमेश नानकचंद अग्रवाल महाविद्यालय खरोरा एवं अपोलो कॉलेज में प्राचार्य पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय शिवा महाविद्यालय भिलाई में प्राचार्य पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ संपूर्णानंद पांडे की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया। रमेश नानकचंद अग्रवाल महाविद्यालय में प्राचार्य पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ देशबंधु तिवारी की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया। अपोलो महाविद्यालय दुर्ग में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने संबंधी चयन समिति की अनुशंसा को सहमति प्रदान की गई।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

५१. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में एवं स्वशासी महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर अध्यापन एवं परीक्षा सम्पन्न कराने के समन्वय समिति के निर्णय को लागू करने विषयक।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग

५२. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बी.ई. सातवें सेमेस्टर की उत्तरपुस्तिकाओं में अनियमितता के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक १०८५/गोप./२००६ दिनांक १.६.२००६ के पालनार्थ बी.ई.सातवें सेमेस्टर नया पाठ्यक्रम के त्रूटिपूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं की जांच दिनांक ५.६.२००६, ७.६.२००६, ८.६.२००६, ९.६.२००६ एवं १२.६.२००६ को किया गया। विश्वविद्यालय के बी.ई.सातवें सेमेस्टर के ऐसे ४९ उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्र अधीक्षकों द्वारा सत्यापत नहीं किया गया है, इन छात्रों के संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त किया जावे तथा संबंधित महाविद्यालय पर आवश्यक कार्यवाही किया जावे।

कार्यवाही- गोपनीय एवं परीक्षा विभाग

५३. शारीरिक कल्याण शुल्क जमा न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्यवाही करने पर विचार करना।

निर्णय शारीरिक कल्याण शुल्क समस्त महाविद्यालयों द्वारा विश्वविलय में जमा कराया जाता है परन्तु ३९ महाविद्यालयों द्वारा यह शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं किये है अतः संबंधित सभी महाविद्यालयों से शारीरिक कल्याण शुल्क वसूल करने की कार्यवाही की जावे। यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करते है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही- शारीरिक शिक्षा विभाग

अन्य निर्णय-

१. (अ)कुलपति जी ने कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया कि रसायन शास्त्र अध्ययन शाला के छात्रों के द्वारा लिखित में शिकायत की गई कि उनके कमं उपस्थिति के बदले प्रत्येक प्रतिशत कम उपस्थिति के लिये रू.१००/- राशि की मांग प्रो.जी.एल.मूंधडा, तत्कालीन अध्यक्ष रसायनशास्त्र अध्ययनशाला के द्वारा की गई। सूचना मिलने के उपरान्त संबंधित विभाग की मई माह के अंत में आयोजित प्रायोगिक परीक्षाएँ स्थगित की गई।

(ब)कुलपति जी ने कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया कि प्रो.जी.एल.मूंधडा, तत्कालीन संचालक, विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान ने विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा स्पष्टीकरण पूछने पर लिखित में जानकारी दी है कि उन्होंने इस संस्थान के विद्यार्थियों से कम उपस्थित के एवज् में General Lab Breakage charges के रूप में रू. ७५०६२/- राशि संस्थान में एकत्रित किया है। उन्होंने यह राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं की गई। इन प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुये विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो.जी.एल.मूंधडा को दिनांक २५.५.२००६ से अध्यक्ष रसायनशास्त्र अध्ययन शाला एवं संचालक विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान के पदभार से मुक्त किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

२. विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कुलपति जी ने कार्यपरिषद सदस्यों को सभी बिंदुओं से अवगत कराया। निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कलेक्टर दर पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसे अगली व्यवस्था होने तक जारी रखा जावे।

३. कुलपति जी ने कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया कि बार-बार पत्र लिखने के बाद भी विवेकानंद कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई। निर्णय लिया गया कि परिनियम २८ का पालन न करने की स्थिति में इस महाविद्यालय पर उचित कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

कुलपति

पृ.क्रमांक 8189/अका./का.प./2006

रायपुर, दिनांक 23.06.2006

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव